

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1309/2009/अलवर

मैसर्स अलवर लाईम स्टोन सप्लाय कम्पनी, अलवर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:-

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद, उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :26.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2010 जो अपील संख्या 104/उपा/अपील्स/अल/आर.एस.टी./2007-08/10 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने संबंधी पारित आदेश दिनांक 24.05.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 1993-94 का निर्धारण आदेश पारित किये जाने के उपरांत वापसी योग्य राशि ₹3,20,853/- का रिफण्ड, आदेश के साथ प्रदान नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज पर ब्याज प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अधिनियम में इस प्रकार के कोई प्रावधान निहित नहीं है। उक्त पारित आदेश दिनांक 24.05.2007 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधि के निर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात् वापसी योग्य ₹3,20,353/- का रिफण्ड आदेश दिनांक 27.06.1997 को प्राप्त हुआ तथा उक्त रिफण्ड आदेश की प्राप्ति दिनांक तक

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी की जमा राशि पर देय ब्याज ₹1,85,218/- का भुगतान रिफण्ड आदेश की प्रति के साथ न दिया जाकर दिनांक 19.07.2004 को किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 27.06.1997 से दिनांक 19.07.2004 तक की अवधि के ब्याज के भुगतान में हुये विलम्ब के लिये ब्याज पर ब्याज ₹1,65,234/- का भुगतान किये जाने हेतु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2002) 169 टैक्सेशन 548 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम नरेन्द्र दोषी को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि विभाग बिना कोई कारण बताये रिफण्ड के साथ दिये जाने वाले ब्याज को विलम्ब से देता है तो जो व्यवहारी ब्याज पर ब्याज पाने का हकदार है। कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के अन्यथा निर्वचन अवधारित कर, उक्त को केवल इनकम टैक्स विभाग से ही संबंधित/लागू होना मानकर, प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र के जरिये चाहे गये ब्याज पर ब्याज को प्रदान करने से इंकार कर दिया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है। अपने कथन के समर्थन में (2006) 145 एस.टी.सी. 505, (2005) 185 टैक्सेशन 70, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत चमनलाल.एस.पटेल बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एण्ड एनॉदर को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व हस्तगत प्रकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया, जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

Section 56. Refund

(1) Where any amount is refundable to a dealer under the provisions of this Act, after having duly verified the fact of



लगातार.....3

deposit of such amount, the assessing authority shall in the prescribed manner refund to such dealer the amount to be refunded either by cash payment or by adjustment against the tax or other sum due in respect of any other period and such refundable amount shall carry interest at the rate of fifteen percent per annum with effect from the date of its deposit.

अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों से यह पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा जमा राशि जिसका रिफण्ड देय बनता है वह विलम्ब से दिये जाने की स्थिति में ही ब्याज दिये जाने के प्रावधान हैं, विलम्ब से दिये गये रिफण्ड पर ब्याज विभाग द्वारा दिया गया है, यह विवादित नहीं है बल्कि ब्याज विलम्ब से दिया गया उक्त तथ्य विवादित है जिसके संबंध में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालयों के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों को सम्मान व्यक्त कर, यह पीठ यह अवधारित करती है कि अधिनियम में निहित प्रावधानों में ब्याज पर ब्याज प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान नहीं होने से कर कानूनों में जो कुछ लिखा गया है उसके अतिरिक्त पढ़ा जाना अनुज्ञेय नहीं है। यही नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, चण्डीगढ़ बनाम मैसर्स दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स, सिविल अपील क्रमांक 3400 ऑफ 2003 निर्णय दिनांक 06.07.2011 में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है:-

“...the principle that a taxing statute should be strictly construed is well settled. It is equally true that the intention of the Legislature is primarily to be gathered from the words used in the statute. Once it is shown that an assessee falls within the letter of the law, he must be taxed however great the hardship may appear to the judicial mind to be.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त वर्णित न्यायिक निर्णय में इस संबंध में कराधान के सिद्धांतों की व्याख्या को सुस्पष्ट करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में निर्णित निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को निम्न प्रकार अंकित किया है:-




On the principles of interpretation of taxing statutes, the following passage from the opinion of Late Rowlatt, J. In *Cape Brandy Syndicate Vs. Inland Revenue Commissioner's* 1921 (1) के.बी. 64, 71 has become the locus classicus and has been quoted with approval in a number of decisions of this court:

“.....in a taxing act, one has to look merely at what is clearly said. There is no room for any intendment. Nothing is to be read in, nothing is to be implied. One can only look fairly at the language used.” (पैरा-20)

अतः अधिनियम के प्रावधानानुसार ब्याज पर ब्याज दिये जाने संबंधी प्रावधान नहीं होने के कारण, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


26.6.2019
(मदन लाल)
सदस्य